भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 4704**

28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

**पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना**

4704. श्री सौमित्र खान:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने तथा आयुष स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो विशेषकर पश्चिम बंगाल के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार आयुष औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण के लिए कोई विशिष्ट नीति क्रियान्वित कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क): आयुष मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को क्रियान्वित कर रहा है तथा पश्चिम बंगाल सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के विकास और संवर्धन के लिए राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के सापेक्ष एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों का समर्थन कर रहा है। एनएएम अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान करता है:-

i. आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी) का संचालन जिसे अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) नाम दिया गया है।
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंदों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।
iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।
iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास) के लिए भवन का निर्माण/नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण।
v. 10/30/50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।
vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को जरूरी औषधियों की आपूर्ति।
vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।

viii. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।

ix. आयुष स्नातक संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।

एनएएम के तहत, वर्ष 2014-2015 से 2023-2024 तक एसएएपी की अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 4534.28 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई है और उसमें से 162.92 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को जारी किए गए हैं।

(ख) और (ग): केंद्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग की स्थापना की है, जिसके तहत संबंधित भेषजसंहिता समितियां आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के गुणवत्ता मानकों को विकसित करने के लिए काम कर रही हैं। इसके अलावा, आयुष मंत्रालय ने एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) कार्यान्वित की है, जिसे दिनांक 16.03.2021 को स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस योजना के लिए कुल बजट आवंटन पांच वर्षों के लिए 122.00 करोड़ रुपये है। इस योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

i. आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत, भारत की विनिर्माण क्षमताओं और पारंपरिक दवाओं और स्वास्थ्य संवर्धन उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना।

ii. आयुष औषधियों और सामग्रियों के मानकीकरण, गुणवत्ता विनिर्माण और विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पर्याप्त अवसंरचनात्मक तथा तकनीकी उन्नयन और संस्थागत गतिविधियों की सुविधा प्रदान करना।

iii. आयुष औषधियों के भ्रामक विज्ञापनों की प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा जांच और निगरानी के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर नियामक ढांचे को मजबूत करना।

*****